

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-31052021-227276
SG-DL-E-31052021-227276

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151]	दिल्ली, सोमवार, मई 31, 2021/ज्येष्ठ 10, 1943	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 37
No. 151]	DELHI, MONDAY, MAY 31, 2021/JYAISHTHA 10, 1943	[N. C. T. D. No. 37

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 25 मई, 2021

सं. एफ.10/2/2021-22/एसआरडी/वित्त(बी)/ जेएस बजट/882-892:—दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 (2010 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 81 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा दिल्ली आबकारी नियम, 2010 में आगे संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ— (1) इन नियमों को दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियमावली, 2021 कहा जायेगा।
- (2) ये उस तारीख से लागू होंगे, जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

बशर्ते कि इन नियमों के कुछ प्रावधानों के लागू होने के लिए विभिन्न तिथि चयनित की जा सकती हैं और ऐसे प्रावधानों के कोई भी सन्दर्भ में हमेशा इनके लागू होने की तिथि को ही संदर्भ माना जायेगा।

2. नियम 2 में संशोधन :-

(i) दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 में (इसके पश्चात् मूल नियम के रूप में संदर्भित), उपनियम 2 (5) के पश्चात्, 'कैन एंड पाउच' को 'कैन, पाउच और असेप्टिक पैकेजिंग' शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) नियम 2 (51) के बाद एक नया उप-नियम निम्नानुसार सन्निविष्ट किया जाएगा:

'(52) 'क्षेत्र' का मतलब है खुदरा लाइसेंस के आवंटन के उद्देश्य से समय-समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा परिभाषित एक क्षेत्र।'

3. नियम 24 में संशोधन:- मूल नियमों में नियम 24 को लोपित किया जाएगा।

4. नियम 30 में संशोधन:- मूल नियमों में नियम 30 में 'शो विंडो' के बाद और पूर्ण विराम से पूर्व 'या किसी अन्य तरीके से शब्द। हालाँकि, मदिरा के प्रदर्शन या ब्रांडिंग को केवल एक क्षेत्र (एल -7 वी एवं एल-7एसपी1) में खुदरा वेंड के अंदर ही अनुमति दी जाएगी', को शामिल किया जाएगा।

5. नियम 32 में संशोधन: मूल नियमों में, नियम 32 में 'निर्धारित शुल्क' शब्द के पश्चात तालिका को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

क्रम संख्या	प्रपत्र	लाइसेंस का विवरण	लाइसेंस प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी	लाइसेंस को नवीनीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी
1	एल-1	भारतीय मदिरा, विदेशी मदिरा, ड्राफ्ट बियर के थोक वेंड	उपायुक्त	नवीकरणीय योग्य नहीं
2	एल-3	देशी मदिरा का थोक वेंड	उपायुक्त	नवीकरणीय योग्य नहीं
3	एल-4	रेक्टिफाइड स्पिरिट का थोक वेंड	उपायुक्त	उपायुक्त
4	एल-5	विशेष विकृत स्पिरिट सहित विकृत स्पिरिट का थोक वेंड	उपायुक्त	उपायुक्त
5	एल-6	सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय मदिरा की खुदरा वेंड	उपायुक्त	उपायुक्त
6	एल-6 एफजी	सार्वजनिक क्षेत्र में फार्म एल-6 में लाइसेंस धारक को विदेशी मदिरा की खुदरा वेंड	उपायुक्त	उपायुक्त
7	एल -6 एफ़ ई	सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशी मदिरा की खुदरा वेंड।	उपायुक्त	उपायुक्त
8	एल-7 जेड	निजी क्षेत्र में विदेशी मदिरा, भारतीय मदिरा की खुदरा वेंड के लिए जोनल लाइसेंस	उपायुक्त	उपायुक्त
9	एल-7 वी	निजी क्षेत्र के एक क्षेत्र में विदेशी मदिरा, भारतीय मदिरा की खुदरा वेंड	उपायुक्त	उपायुक्त

10	एल-7 एसपी-1	भारतीय मदिरा, विदेशी मदिरा की सुपर प्रीमियम खुदरा वेंड	उपायुक्त	उपायुक्त
11	एल-8	सार्वजनिक क्षेत्र में देशी मदिरा की खुदरा वेंड	उपायुक्त	उपायुक्त
12	एल-11	माइक्रोब्र्युरी द्वारा निर्मित बीयर की खुदरा वेंड	उपायुक्त	उपायुक्त
13	एल-12	डिपार्टमेंटल स्टोर में बीयर और वाइन की खुदरा वेंड।	उपायुक्त	उपायुक्त
14	एल-12 एफ	डिपार्टमेंट स्टोर में विदेशी बीयर और वाइन की खुदरा वेंड फार्म एल -12 लाइसेंस धारक के लिए।	उपायुक्त	उपायुक्त
15	एल-13	होम डिलीवरी के लिए भारतीय मदिरा की खुदरा वेंड	उपायुक्त	उपायुक्त
16	एल-13 एफ	होम डिलीवरी के लिए फार्म एल -13 के लाइसेंस धारकों हेतु विदेशी मदिरा की खुदरा वेंड	उपायुक्त	उपायुक्त
17	एल-14	सस्ती भारतीय मदिरा और बीयर की खुदरा वेंड फार्म एल-8 में लाइसेंस धारक के लिए	उपायुक्त	उपायुक्त
18	एल-15	होटल में भारतीय मदिरा और विदेशी मदिरा अपने निवासियों के कमरों में प्रदान करने की सेवा हेतु	उपायुक्त	उपायुक्त
19	एल-16	होटल से जुड़ी बार/रेस्तरां में भारतीय मदिरा और विदेशी मदिरा प्रदान करने की सेवा हेतु	उपायुक्त	उपायुक्त
20	एल-17	स्वतंत्र रेस्तरां में भारतीय मदिरा और विदेशी मदिरा प्रदान करने की सेवा हेतु	उपायुक्त	उपायुक्त
21	एल-19	अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आगमन या प्रस्थान क्षेत्र में स्थित एक स्वतंत्र रेस्तरां में पूर्ण रात-दिन भारतीय मदिरा और विदेशी मदिरा की प्रदान करने की सेवा हेतु	उपायुक्त	उपायुक्त
22	एल-20	एक लक्जरी ट्रेन में बार/डाइनिंग कार में भारतीय और विदेशी मदिरा की सेवा	उपायुक्त	उपायुक्त
23	एल-21	अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आगमन या प्रस्थान क्षेत्र में स्थित एक होटल से जुड़ी	उपायुक्त	उपायुक्त

		बार में पूर्ण रात-दिन भारतीय मदिरा और विदेशी मदिरा की बिक्री/प्रदान करने की सेवा हेतु		
24	एल-22	अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रस्थान लाउंज पर स्थित शुल्क मुक्त दुकान में परिसर से "बाहर" खपत के लिए भारतीय मदिरा की खुदरा वेंड	उपायुक्त	उपायुक्त
25	एल-23	सैन्य कैंटीन में भारतीय और विदेशी मदिरा की खुदरा वेंड	उपायुक्त	उपायुक्त
26	एल-24	औषधीय मदिरा (मेडिकेटेड वाइन) की खुदरा वेंड	उपायुक्त	उपायुक्त
27	एल-25	विशेष विकृत स्पिरिट सहित विकृत स्पिरिट की खुदरा वेंड	उपायुक्त	उपायुक्त
28	एल-26	रेक्टिफाइड स्पिरिट का खुदरा वेंड	उपायुक्त	उपायुक्त
29	एल-27	भांग की खुदरा वेंड	उपायुक्त	उपायुक्त
30	एल-28	एक क्लब में भारतीय और विदेशी मदिरा की सेवा हेतु	उपायुक्त	उपायुक्त
31	एल-29	एक क्लब/मेस में भारतीय और विदेशी मदिरा की सेवा, जिसकी सदस्यता विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए होती है, जिसमें सशस्त्र बलों के सदस्य शामिल होते हैं, सेवारत या सेवानिवृत्त और क्लब/मेस वाणिज्यिक आधारों पर नहीं चलाया जाता है।	उपायुक्त	उपायुक्त
32	एल-30	व्यक्तिगत अधिकार की सीमा से अधिक घर पर मदिरा रखने का लाइसेंस	उपायुक्त	सहायक आयुक्त
33	एल-31	भारतीय मदिरा, विदेशी मदिरा, ड्राफ्ट बीयर के भंडारण के लिए वेयरहाउस का लाइसेंस	आबकारी आयुक्त	नवीकरणीय योग्य नहीं
34	एल-33	देशी मदिरा के भंडारण के लिए वेयरहाउस का लाइसेंस	आबकारी आयुक्त	नवीकरणीय योग्य नहीं
35	एल-34	विकृत स्पिरिट के भंडारण हेतु वेयरहाउस के लिए लाइसेंस	आबकारी आयुक्त	आबकारी आयुक्त
36	एल-35	रेक्टिफाइड स्पिरिट के भंडारण के लिए वेयर हाउस का लाइसेंस	आबकारी आयुक्त	आबकारी आयुक्त

37	एल-36	एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, दवाओं/नशीली दवाओं की बिक्री करने वाले के लिए नशीली दवाओं की बिक्री करने का लाइसेंस।	उपायुक्त	उपायुक्त
38	एल-37	प्रशिक्षण के उद्देश्य से मदिरा रखने के लिए होटल प्रबंधन संस्थानों के लिए लाइसेंस	उपायुक्त	उपायुक्त
39	एल-38	बैंक्वेट हॉल, पार्टी स्थल, फार्म हाउस, मोटल, वेडिंग/पार्टी / इवेंट वेन्यू का लाइसेंस एक बार के वार्षिक शुल्क के भुगतान पर उनके परिसर में होस्ट की गई सभी पार्टियों में भारतीय और विदेशी मदिरा परोसने की अनुमति के साथ	उपायुक्त	उपायुक्त

6. **नियम 33 में संशोधन:**— मूल नियमों में, नियम 33 में क्रम संख्या 10ए के बाद, नया क्रम संख्या 10बी निम्नानुसार डाला जाएगा:

10 बी	पी -10 ई	बैंक्वेट हॉल, पार्टी स्थानों, फार्म हाउस, शादी/पार्टी/कार्यक्रम स्थलों पर भारतीय मदिरा और विदेशी मदिरा की सेवा के लिए परमिट ।	उपायुक्त	उपायुक्त
-------	----------	---	----------	----------

7. **नियम 35 में संशोधन:**— मूल नियमों में, नियम 35 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

‘नियम 35: कुछ लाइसेंस अन्य लाइसेंस के साथ संयोजन के रूप में प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। - सरकार की अनुमति के अतिरिक्त,

- (1) किसी भी व्यक्ति को एल-1 के रूप में एक से अधिक थोक लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे ।
- (2) परिसर से “बाहर” उपभोग और परिसर ‘पर’ उपभोग करने के लिए मदिरा की खुदरा वेंड के लाइसेंसधारक के लिए कोई थोक लाइसेंस नहीं दिया जाएगा और इसके विलोमतः भी :
- (3) परिसर से “बाहर” मदिरा के उपभोग के लिए किसी भी खुदरा लाइसेंसधारक को अन्य खुदरा लाइसेंस नहीं दिया जाएगा:

बशर्ते कि एल-6, एल-7जेड, एल-7वी, एल-7एसपी1, एल-8 और एल-14 के रूप में एक से अधिक लाइसेंस किसी व्यक्ति को दिए जा सकते हैं।

आगे उपबंध है कि एक व्यक्ति को एल-7जेड के दो से अधिक लाइसेंस नहीं दिए जा सकते हैं।

8. **नियम 36 में संशोधन:**— मूल नियमों में नियम 36 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

“डिस्टिलरी, ब्रअरी, वाइनरी या बॉटलिंग प्लांट को लाइसेंस देने के लिए प्रतिबंध - फॉर्म एल-1 में लाइसेंस किसी भी डिस्टिलरी, ब्रअरी, वाइनरी या बॉटलिंग प्लांट को नहीं दिया जाएगा । हालाँकि, फॉर्म एल -3 में लाइसेंस केवल एक डिस्टिलरी या बॉटलिंग प्लांट को दिया जाएगा।”

9. **नियम 37 में संशोधन**” मूल नियमों में, नियम 37 में खंड (1), 2010 के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएंगे -

“बशर्ते कि उपायुक्त सरकार के पूर्व अनुमोदन से लाइसेंस देने के लिए लाइसेंस की पात्रता के संबंध में ऐसी अतिरिक्त शर्तें लगा सकते हैं—”

“बशर्ते कि एल-1, एल-7जेड, एल-7वी, एल-7 एसपी-1फॉर्म में लाइसेंस किसी भी राज्य सरकार या उसके उपक्रम के स्वामित्व वाली कंपनी या सोसायटी को नहीं दिया जाएगा।”

10. नियम 41 में संशोधन:— मूल नियमों में, नियम 41 को प्रतिस्थापित किया जाएगा और निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

“लाइसेंस और परमिट के नवीकरण के लिए सभी आवेदन लाइसेंस या परमिट के नवीकरण के लिए देय लाइसेंस या परमिट शुल्क के साथ हर साल फरवरी के अंत से पहले उपायुक्त के कार्यालय में प्राप्त किये जाएंगे।

देरी के मामले में, उपायुक्त लाइसेंस या परमिट की समाप्ति से पहले इस तरह के आवेदन को स्वीकार कर सकता है, बशर्ते कि निर्धारित लाइसेंस या परमिट शुल्क के साथ पच्चीस प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के साथ, विलंब के विश्वसनीय और पर्याप्त कारण हों :

बशर्ते कि लाइसेंस या परमिट के नवीनीकरण के लिए आवेदन मार्च के महीने में दिए गए लाइसेंस को भी शामिल किया जा सकता है, लाइसेंस या परमिट की समाप्ति के बाद भी प्राप्त किया जा सकता है, अगर विलम्ब के लिए विश्वसनीय और पर्याप्त कारण हैं, लाइसेंस या परमिट शुल्क देय है और देय लाइसेंस या परमिट शुल्क के दोगुने भुगतान के पश्चात लाइसेंस या परमिट का नवीनीकरण आबकारी आयुक्त के अनुमोदन से किया जा सकता है।

आगे कहा कि एल-7 जेड और एल-7एसपी1 फ़ार्म लाइसेंस के मामले में, नवीनीकरण के समय भुगतान की जाने वाली लाइसेंस शुल्क की राशि सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।

बशर्ते कि फॉर्म एल -15, एल -16 और एल -17 में लाइसेंस के मामले में, सभी दस्तावेजी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद लाइसेंस शुल्क दो समान किस्तों में देय होगा। लाइसेंस शुल्क के 50प्रतिशत की पहली किस्त प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक भुगतान की जानी चाहिए, ऐसा न होने पर पहली किस्त का 25प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क 31 मार्च तक देय होगा और उसके बाद की पहली किस्त की दोगुनी राशि देय होगी। लाइसेंस शुल्क की शेष राशि की दूसरी किस्त का भुगतान 12 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ, प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर से पहले किया जाना चाहिए, अन्यथा दूसरी किस्त की दोगुनी राशि देय होगी।”

11. नियम 45 में संशोधन:— मूल नियमों में, नियम 45 में, ‘एल-15एफ’, ‘एल-16एफ’, ‘एल-17एफ’, ‘एल-28एफ’, ‘एल-29एफ’ शब्द लोपित किए जाएंगे।

12. नियम में संशोधन 51:— मूल नियमों में, नियम 51 में,

(i) ‘एल -12’ शब्द के बाद उप-नियम (4) के परन्तुक में, ‘और फार्म एल -7 एसपी 1’ में सुपर प्रीमियम रिटेल वेंड लाइसेंस, शब्दों को शामिल किया जाएगा।

(ii) उप-नियम (5) में, जहाँ भी ‘फार्मों’ शब्द का उल्लेख किया गया है, उसे शब्द ‘फॉर्म’ के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा और जहाँ भी ‘एल-15एफ’ और ‘एल-16एफ’ शब्दों का उल्लेख किया गया हो, वह लोपित किया जाएगा।

(iii) उप-नियम (8) में, ‘एल-20एफ’ शब्द लोपित किया जाएगा।

(iv) उप-नियम (10), निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

परिसर में “उपभोग के लिए खुदरा लाइसेंस” किसी साईट पर, दिल्ली अग्निशमन सेवा के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात दिए जाएंगे।

13. नियम 53 में संशोधन:— मूल नियमों में, नियम 53 में,

(i) “उप-नियम (1) लोपित किया जाएगा।

(ii) उप-नियम (4) में, परन्तुक को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

‘बशर्ते कि ‘उपभोग’ के लिए लाइसेंस रखने वाले लाइसेंसधारियों को संगीत और संगीत वाद्ययंत्र, नृत्य, सहित किसी भी प्रकार के मनोरंजन/प्रदर्शन या पेशेवर गायक या डीजे, लाइव बैंड और कराओके के परिसर में प्रदर्शन की अनुमति, सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा उपायुक्त द्वारा यथालागू ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन दी जा सकती है।’

(iii) उप-नियम (2) से (10) क्रमशः उप-नियम (1) से (9) के रूप में पुनः क्रमांकित किए जाएंगे।

14. नियम 55 में संशोधन:— मूल नियमों में, नियम 55 में, उप नियम (9) के पश्चात एक नया उप-नियम (10) निम्नानुसार सन्निविष्ट किया जायेगा:

(10) ‘प्रत्येक एल 1 लाइसेंसधारी निर्माताओं से प्राप्त मदिरा के प्रत्येक बैच में घटिया मदिरा या नकली मदिरा की उपस्थिति की जाँच करने के लिए अपने गोदामों में सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला स्थापित करेगा। एल-1 लाइसेंसधारी का कर्तव्य होगा कि वह घटिया मदिरा या नकली मदिरा की उपस्थिति के लिए व्यवस्थित रूप से मदिरा की जाँच करे और अनिवार्य रूप से किसी भी घटिया मदिरा या स्पिरिट वाली मदिरा की आपूर्ति होने पर आबकारी विभाग को सूचित करे।’

15. नियम 58 : में संशोधन:— मूल नियमों में, नियम 58 में एक नया परन्तुक निम्नानुसार सन्निविष्ट किया जाएगा:

“बशर्ते कि एल-7जैड या एल-7एसपी 1 फार्म के रूप में दिए गए लाइसेंस के मामले में, प्रतिपूर्ति राशि को जब्त कर लिया जाएगा और आत्मसमर्पण (सरेन्डर्ड) लाइसेंस को वापस ले लिया जाएगा और उक्त लाइसेंसधारी को 2 वर्ष की अवधि के लिए किसी अन्य बोली प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाएगा।”

16. नियम 66 में संशोधन : मूल नियमों में, नियम 66 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

नियम 66. विशेष शर्तें —

नियमों में निर्धारित भिन्न-भिन्न रूपों में लाइसेंस, निर्धारित शर्तों के साथ, निम्नलिखित विशेष शर्तों के भी अधीन होंगे।

(1) व्यापार के लिए भारतीय मदिरा, विदेशी मदिरा और ड्राफ्ट बीयर के थोक बिक्री के लिए एल -1 फार्म में लाइसेंस —

(क) लाइसेंसधारी केवल लाइसेंस धारकों को ही परिसर से “बाहर” उपभोग हेतु मदिरा बेचेगा या आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार;

(ख) लाइसेंसधारी के पास भारतीय मदिरा और विदेशी मदिरा दोनों के भंडारण के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा विधिवत लाइसेंस प्राप्त एक अनुबंधित भंडारगृह होगा। हालांकि, विदेशी मदिरा के मामले में, इस तरह के अनुबंधित भंडारगृह अनुमोदित अनुबंधित भंडारगृह परिपाटी के अतिरिक्त होंगे;

(ग) दिल्ली में आयात की जाने वाली भारतीय मदिरा पर शुल्क का भुगतान लाइसेंसधारक द्वारा यथाअधिसूचित ऐसी दरों पर आयात पास प्राप्त होने से पूर्व किया जाएगा, जब तक आयात करने के बाद मदिरा आबकारी आयुक्त द्वारा स्थापित या लाइसेंस प्राप्त अनुबंधित भंडारगृह में रखी जाए।

(घ) विदेशी मदिरा के मामले में, लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित गोदाम में आबकारी आयुक्त द्वारा तय किए गए खुदरा मूल्य, लेबल और होलोग्राम या किसी अन्य सुरक्षा सुविधा की वैधानिक आवश्यकताओं वाले स्टीकर को चिपकाएगा।

(ङ) लाइसेंसधारी भारत में निर्माता या आयातक द्वारा प्रत्येक ब्रांड के लिए जारी प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करेगा;

(च) लाइसेंसधारक ड्राफ्ट बियर की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा:

(i) ड्राफ्ट बियर केवल केम्स में आयात किया जाएगा;

(ii) ड्राफ्ट बियर के सुरक्षित भंडारण के लिए उचित प्रशीतन व्यवस्था होनी चाहिए;

- (iii) यह सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंसधारी का कर्तव्य होगा कि कोई बासी या विकृत बीयर न बेची जाए;
- (iv) ड्राफ्ट बीयर को एक बार दिल्ली में आयात करने के बाद, किसी भी कारण से निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी;
- (v) आवश्यक फिज प्रदान करने के लिए CO₂ का मिश्रण अनुमेय सीमा के भीतर किया जा सकता है।
- (vi) यदि ड्राफ्ट बीयर के आयात के बाद, यह मदिरा की भट्ठी से लाइसेंस प्राप्त परिसर तक के परिवहन के दौरान खराब हो गया है या लाइसेंसधारी ने बाद में पाया है कि ऐसे स्टॉक बिक्री से पहले भंडारण के दौरान खराब हो गए हैं, उपायुक्त की अनुमति के साथ, रसायनिक परीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, उसे नष्ट कर दिया जाएगा।

(2) देशी मदिरा के थोक व्यापार के लिए फार्म एल -3 में लाइसेंस -

(क) लाइसेंसधारी फार्म एल-8 में लाइसेंस धारक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को देशी मदिरा नहीं बेचेगा;

(ख) सरकार थोक मूल्य (विशेष शुल्क, खुदरा मार्जिन, स्थानीय परिवहन शुल्क और देशी मदिरा के वैट) में तय कर सकती है और विभिन्न प्रकार की देशी मदिरा के लिए अलग-अलग मूल्य तय कर सकती है:

बशर्ते कि सरकार किसी भी अधिकारी या अधिकारियों की समिति को विभिन्न आकारों की बोतलों में देशी मदिरा की आपूर्ति के लिए एक समान न्यूनतम मूल्य पर पहुंचने के लिए निविदाकर्ता के साथ बातचीत करने के लिए अधिकृत कर सकती है किसी भी निविदाकार को वार्ता के लिए आमंत्रित होने का कोई अधिकार नहीं होगा:

बशर्ते कि एक बार कीमत तय करने के बाद, सरकार द्वारा लाइसेंस की अवधि के दौरान लाइसेंसधारक के अहित में इसमें बदलाव नहीं करेगी और वह प्रतिस्पर्धी निविदाओं में उद्धृत कीमतों के आधार पर लाइसेंस के मूल्य में बदलाव नहीं करेगी;

(ग) लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस के परिसर में केस, कैप्सूल नहीं भरेगा और देशी मदिरा को लेबल नहीं करेगा, जब तक कि विशेष रूप से आबकारी आयुक्त द्वारा ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाती है;

(घ) लाइसेंसधारी को किसी भी मात्रा के अतिरिक्त, जिसे उस खंड के तहत बिक्री के लिए उपलब्ध कराने की आवश्यकता हो सकती है;

(ङ) लाइसेंसधारी, अपने लाइसेंस की अवधि के दौरान, आबकारी आयुक्त के आदेश के अनुसार, एक वर्ष में विभिन्न प्रकार की बोतलों में देशी मदिरा की इतनी मात्रा में बिक्री के लिए अर्जित कर उपलब्ध कराएगा जितना भी आवश्यक हो और आबकारी आयुक्त सभी देशी मदिरा की बिक्री की गारंटी देने की बाध्यता के लिए किसी के अधीन नहीं होगा।

(च) लाइसेंसधारी को जिन आवश्यक नियमों और शर्तों के तहत लाइसेंस दिया गया है उनके अनुसार यथाआवश्यक आपूर्ति करेगा।

(छ) खंड (घ) और (च) में निहित प्रावधानों के अधीन, लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में बिक्री के लिए उतनी देशी मदिरा उपलब्ध कराएगा, जितनी भी एक्सट्रा नियूटरल एल्कोहल (अतिरिक्त तटस्थ मदिरा) से निर्मित हो सके, यदि उसे आबकारी आयुक्त द्वारा आवंटित किया गया है और इस प्रयोजन के लिए, आबकारी आयुक्त से आवंटन आदेश प्राप्त करने और अन्य आबकारी अधिकारियों से जारी करने के लिए आदेश कार्रवाई सहित सभी आवश्यक कार्य करेगा;

(ज) लाइसेंसधारक एक्सट्रा नियूटरल एल्कोहल (अतिरिक्त तटस्थ मदिरा) की मात्रा का एक सही और सटीक खाता प्रस्तुत करेगा, जिसे उसके द्वारा आवंटित और जारी किया गया है, देशी मदिरा के रूप में

उसके द्वारा उपयोग और आपूर्ति की जाती है और जो मात्रा उसके पास शेष है ताकि वह उपायुक्त को पखवाड़े जिससे विवरण संबंधित है उसके समापन होने से 3 दिन पूर्व प्रस्तुत हो सके;

(3) लाइसेंस फार्म एल-6, एल-6एफजी, एल-6एफई, एल-7जेड, एल-7वी, एल-7एसपी1 और एल-12 भारतीय मदिरा और विदेशी मदिरा की खुदरा बिक्री के लिए: -

(क) लाइसेंसधारी परिसर 'में' और परिसर से "बाहर" की खपत के लिए व्यक्तियों को उपभोग के लिए लाइसेंस धारकों को मदिरा की बिक्री करेगा ।

(ख) लाइसेंसधारी परिसर 'में' उपभोग के लिए किसी भी व्यक्ति को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।

बशर्ते कि एक से अधिक लाइसेंस रखने वाले लाइसेंसधारियों के मामले में, एक लाइसेंस प्राप्त परिसर से दूसरे में स्टॉक का हस्तांतरण उपायुक्त या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य आबकारी अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ किया जा सकता है।

(4) परिसर से "बाहर" खपत के लिए देशी मदिरा की खुदरा वेंड के लिए फार्म एल -8 के रूप में लाइसेंस-

(क) लाइसेंस देश मदिरा के खुदरा विक्रय करना के लिए निविदा, नीलामी या निर्धारित शुल्क द्वारा दी जाएगी;

(ख) लाइसेंसधारक, जब तक कि आबकारी आयुक्त द्वारा असाधारण मामलों में अनुमति नहीं दी जाती है, तब तक दिल्ली में थोक द्वारा देशी मदिरा बेचने के लिए लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति से ही देशी मदिरा की उसकी आपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं;

(ग) लाइसेंसधारक, यदि दिल्ली में कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो आबकारी आयुक्त द्वारा इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित किसी भी डिस्टिलरी या बॉटलिंग प्लांट से देशी मदिरा की उसकी बिक्री का 20 प्रतिशत तक देशी मदिरा की आपूर्ति कर सकता है;

बशर्ते कि लाइसेंसधारक द्वारा दिल्ली की सीमा से बाहर थोक में देशी मदिरा के आयात के मामले में, थोक तब तक नहीं टूटेगा, जब तक कि खेप दिल्ली नहीं पहुंच जाती है और आबकारी निरीक्षक द्वारा खेप को कवर करने वाले पास के साथ उसकी तुलना नहीं की जाती है;

(घ) लाइसेंसधारक ऐसे आकार या रंग की बोतलों में जिसमें ऐसे आंकड़े, शब्द या निशान धारण है जिससे लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए प्रयास किया जाता है कि ऐसी मदिरा देशी मदिरा से अलग है, वह वेंड के लिए ऐसी देशी मदिरा नहीं बेचेगा या उतारेगा;

(ङ) लाइसेंसधारक समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दर पर देशी मदिरा की बिक्री करेगा;

(च) लाइसेंसधारक फार्म एफ -6 के रूप में रसीद और बिक्री का हिसाब रखेगा और प्रत्येक महीने के अंत में आबकारी विभाग को रसीद और बिक्री का सही मासिक सार प्रस्तुत करेगा;

(छ) लाइसेंसधारक लाइसेंस प्राप्त परिसर में स्टोर नहीं करेगा-

(i) किसी भी खाली मदिरा की बोतल, कॉर्क, कैप्सूल, पाइलर प्रूफ सील, बोतल गर्दन आदि को छोड़कर, जैसा कि नियमों के तहत प्रदान किया गया है;

(ii) सोडा पानी की कोई बोतल या कोई अन्य साफ्ट ड्रिंक;

(iii) परिशोधित स्पिरिट और विकृत स्पिरिट;

(iv) कोई अन्य मादक पदार्थ;

(5) माइक्रोब्रायरी द्वारा निर्मित बीयर के लिए फॉर्म एल -11 में लाइसेंस:

(क) प्रत्येक माइक्रोब्रायरी को परिसर से "बाहर" बिक्री के लिए एल -1 वितरक को नियुक्त करना होगा। माइक्रोब्रायरी को अन्य बार और रेस्तरां को आपूर्ति करने की अनुमति होगी जिनके पास एल -15, एल -16,

एल -17, एल -19, एल -20, एल -21, एल -28, एल -29 और एल -38 लाइसेंस हैं । आपूर्ति हेतु आदेश केवल उपरोक्त लाइसेंस धारकों द्वारा खुदरा वेंड(एल -7वी/एल-7एसपी1) के माध्यम से किया जा सकता है, जो एल-1 वितरक से उत्पाद खरीदेंगे।

(ख) ड्राफ्ट बियर को बोतलों या 'ग्राउलर' में ले जाने की अनुमति होगी। हालाँकि, जहाँ भी ड्राफ्ट बियर को ले जाने के रूप में बिक्री की जा रही है, वहाँ स्पष्ट संकेतक और जानकारी के माध्यम से इसकी छोटी शेल्फ लाइफ के बारे में जानकारी देनी होगी और बोतलों पर स्पष्ट रूप से समाप्ति की तारीख का उल्लेख करना होगा।

(ग) माइक्रोब्रायरी द्वारा निर्मित ड्राफ्ट बीयर को अनुमति प्राप्त आयोजनों में परोसा जाएगा, जिसमें पी-10, पी-10ई, पी-11, पी-13 परमिट हैं। एल-1 डिस्ट्रीब्यूटर और माइक्रोब्रायरी की जिम्मेदारी होगी कि वे समापन तिथि को प्रवर्तन करें और यह सुनिश्चित करें कि समापन तिथि के बाद का कोई उत्पाद आउटलेट्स पर नहीं बिक रहा है।

(घ) कोई भी एल -15, एल -16, एल -17, एल -19, एल -20, एल -21, एल -28, एल -29 और एल -38 लाइसेंस धारक समाप्ति तिथि के बाद की ड्राफ्ट बीयर बेचते हुए पाए जाएंगे तो तुरंत प्रभाव से उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।

(6) मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से ऑर्डर करके भारतीय मदिरा और विदेशी मदिरा की होम डिलीवरी के लिए फॉर्म एल -13 में लाइसेंस:

(क) लाइसेंसधारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से आदेश प्राप्त होने पर निवास स्थान पर मदिरा की डिलीवरी करेगा और किसी भी छात्रावास, कार्यालय और संस्थान को डिलीवरी नहीं की जाएगी;

(ख) लाइसेंसधारक परिसर ' में ' उपभोग के लिए किसी भी व्यक्ति को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा;

(ग) लाइसेंसधारक किसी अन्य लाइसेंसधारी को मदिरा नहीं बेचेगा;

बशर्ते कि एक से अधिक लाइसेंस रखने वाले लाइसेंसधारियों के मामले में, उपायुक्त या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अन्य आबकारी अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से एक लाइसेंस प्राप्त परिसर से स्टॉक का हस्तांतरण संभवतः किसी अन्य के पास हो सकता है।

(7) किसी होटल या गेस्टहाउस के कमरों में भारतीय मदिरा और विदेशी मदिरा की सेवा प्रदान करने के लिए फॉर्म एल-15 लाइसेंस;

(क) किसी भी व्यक्ति को लाइसेंसधारक द्वारा वास्तविक निवासी के आदेश के अलावा कोई मदिरा नहीं दी जाएगी;

(ख) उस कमरे के अलावा जिसमें वह व्यक्ति उस समय रह रहा है जिसके द्वारा आदेश दिया गया है उसके अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर लाइसेंसधारक द्वारा कोई मदिरा नहीं परोसी जाएगी;

(ग) कोई भी लाइसेंसधारक आबकारी आयुक्त की अनुमति के बिना, फॉर्म एल -7 वी और एल-7 एसपी 1 में लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति के अलावा किसी भी व्यक्ति से कोई मदिरा क्रय नहीं करेगा।

(8) एक होटल से जुड़ी बार में भारतीय मदिरा और विदेशी मदिरा की सेवा के लिए फॉर्म एल -16 लाइसेंस :-

(क) लाइसेंसधारक किसी भी क्षेत्र (होटल के परिसर के भीतर के कमरों को छोड़कर) में किसी भी भारतीय मदिरा या विदेशी मदिरा परोस सकता है, जिसमें खुली जगह, होटल की छत/बालकनी /निचले क्षेत्र भी शामिल है, इस शर्त के साथ कि सार्वजनिक दृश्य से मदिरा परोसने वाले क्षेत्र अदृश्य हो । हालाँकि, होटल के परिसर के भीतर बैंक्वेट हॉल/पार्टी वेन्यू में इन शराबों को परोसने के लिए, फॉर्म एल-38 में अलग से लाइसेंस या पी-10ई के रूप में परमिट, जैसा भी मामला हो, आवश्यक होगा;

(ख) लाइसेंसधारक लाइसेंस प्राप्त परिसर के भीतर किसी भी स्थान पर रेफ्रिजरेटर सहित भारतीय मदिरा और विदेशी मदिरा स्टोर कर सकता है।

(ग) लाइसेंसधारक भारतीय मदिरा, विदेशी मदिरा, वाइन या बियर या तो गिलास में या पूर्ण बोतलों में दे सकता है। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंसधारक की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि कोई भी ग्राहक लाइसेंस प्राप्त बोतलों को लाइसेंस प्राप्त परिसर से बाहर न ले जाए।

(घ) कोई भी लाइसेंसधारक आबकारी आयुक्त की अनुमति के बिना एल-7 वी और एल-7 एसपी 1 के रूप में लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति के अलावा किसी भी व्यक्ति से कोई मदिरा क्रय नहीं करेगा।

(ङ) लाइसेंसधारक किसी भी अतिरिक्त शुल्क के बिना दो वितरण काउंटर रख सकते हैं। हालांकि, दो से अधिक वितरण काउंटर्स को बनाए रखने के लिए, प्रति अतिरिक्त काउंटर प्रति लाइसेंस शुल्क का 5प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।

(9) स्वतंत्र रेस्तरां में परिसर " में " उपभोग के लिए भारतीय मदिरा और विदेशी मदिरा की सेवा के लिए फॉर्म एल-17, एल-19 और एल-21 लाइसेंस -

(क) लाइसेंसधारक रेस्तरां के किसी भी क्षेत्र में किसी भी भारतीय मदिरा या विदेशी मदिरा परोस सकता है, जिसमें खुली जगह, होटल की छत/बालकनी/निचले क्षेत्र भी शामिल है, इस शर्त के साथ कि सार्वजनिक दृश्य से मदिरा परोसने वाले क्षेत्र अदृश्य हो।

(ख) लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त परिसर के भीतर किसी भी स्थान पर रेफ्रिजरेटर सहित भारतीय मदिरा और विदेशी मदिरा स्टोर कर सकता है।

(ग) लाइसेंसधारी भारतीय मदिरा, विदेशी मदिरा, वाइन या बियर या तो गिलास में या पूर्ण बोतलों में दे सकता है। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंसधारी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि कोई भी ग्राहक लाइसेंस प्राप्त बोतलों को लाइसेंस प्राप्त परिसर से बाहर न ले जाए।

(घ) कोई भी लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की अनुमति के बिना एल-7वी और एल-7एसपी1 के रूप में लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति के अलावा किसी भी व्यक्ति से कोई मदिरा क्रय नहीं करेगा।

(ङ) लाइसेंसधारी किसी भी अतिरिक्त शुल्क के बिना दो वितरण काउंटर रख सकते हैं। हालांकि, दो से अधिक वितरण काउंटर्स को बनाए रखने के लिए, प्रति अतिरिक्त काउंटर प्रति लाइसेंस शुल्क का 5प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।

(10) एक लक्जरी ट्रेन में बार या डाइनिंग कार में भारतीय मदिरा और विदेशी मदिरा की सेवा के लिए फॉर्म एल-20 लाइसेंस -

(क) लाइसेंसधारक भारत पर्यटन विकास निगम, एक राज्य पर्यटन विकास निगम अपनी इकाइयों या कोई अन्य एजेंसी होगा जोकि आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित होंगी;

(ख) लाइसेंसधारक लाइसेंस द्वारा पृष्ठांकित और निर्दिष्ट बार के किसी भी परिसर में या डाइनिंग कार के परिसर के अलावा भारतीय मदिरा और विदेशी मदिरा को किसी अन्य परिसर में नहीं प्रदान करेगा;

(ग) लाइसेंसधारक भारतीय मदिरा, विदेशी मदिरा, वाइन या बियर या तो गिलास में या पूर्ण बोतलों में दे सकता है। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंसधारक की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि कोई भी ग्राहक परोसी गई बोतलों को परिसर से बाहर न ले जाए।

(घ) लाइसेंसधारक केवल ट्रेन में सवार वास्तविक यात्रियों के परिसर " में " सेवन करने के लिए भारतीय मदिरा और विदेशी मदिरा प्रदान करेगा;

(ङ) लाइसेंसधारक उस ट्रेन पर रेल सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को भारतीय मदिरा और विदेशी मदिरा नहीं प्रदान करेगा;

(च) लाइसेंसधारक द्वारा उन राज्यों से जहाँ से ट्रेन को गुजरना है, वहा के आबकारी प्राधिकारियों से भारतीय मदिरा और विदेशी मदिरा प्रदान करने के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक होगा;

(छ) कोई भी लाइसेंसधारक आबकारी आयुक्त की अनुमति के बिना एल -7 वी और एल-7एसपी1 के फार्म में लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति के अलावा किसी भी व्यक्ति से कोई मदिरा क्रय नहीं करेगा;

(ज) किसी भी कारण से ट्रेन में बार को नष्ट करने की स्थिति में, लाइसेंसधारक आबकारी आयुक्त को मदिरा की स्टॉक स्थिति को सूचित करेगा और उसके द्वारा तय किए गए तरीके से इस स्टॉक का निपटान किया जायेगा ।

(11) शुल्क मुक्त दुकान के परिसर से "बाहर" उपभोग हेतु भारतीय मदिरा की खुदरा वेंड के लिए फॉर्म एल-22 लाइसेंस -

(क) लाइसेंसधारक खुदरा में भारतीय मदिरा परिसर से "बाहर" उपभोग हेतु देश से बाहर जाने वाले वास्तविक यात्रियों को मदिरा की बिक्री विदेशी मुद्रा के बदले में करेगा;

(ख) लाइसेंसधारक संबंधित प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन अतिरिक्त विमानपत्तन पर कार्यरत व्यक्तियों को भारतीय मदिरा की बिक्री नहीं करेगा;

(12) सक्षम सैन्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मिलिट्री कैंटीन में भारतीय मदिरा और विदेशी मदिरा की बिक्री हेतु फॉर्म एल-23 और एल-23एफ लाइसेंस :-

(क) फार्म एल-23 के रूप में लाइसेंस कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, दिल्ली के क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी किए गए डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट के आधार पर दिया जाएगा, जो केवल मिलिट्री यूनिट में भारतीय मदिरा और विदेशी मदिरा की बिक्री के लिए है;

(ख) लाइसेंसधारक जिस मदिरा की बिक्री के लिए अधिकृत है उसके अतिरिक्त अन्य कोई मदिरा की बिक्री नहीं करेगा;

(ग) नियम 51 के उप-नियम (2) में निहित कुछ भी होने के अतिरिक्त, लाइसेंसधारक उन मामलों में अलग-अलग लाइसेंस लिए बिना अलग-अलग स्थानों की स्थापना करेगा, जहां एक इकाई के एक हिस्से को प्रशिक्षण और अन्य उद्देश्यों के लिए अलग कर दिया जाता है या पीछे छोड़ दिया जाता है;

(घ) लाइसेंसधारक रजिमेंट से जुड़े व्यक्तियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की मदिरा की बिक्री नहीं करेगा, जिसके लिए उसको लाइसेंस प्रदान किया जाता है या इस तरह की कैंटीन का उपयोग करने के लिए सक्षम सैन्य प्राधिकरण द्वारा उसको विधिवत अधिकृत किया गया है;

(13) औषधीय मदिरा (मेडिकेटेड वाइन) की वेंड हेतु बिक्री की अनुमति फॉर्म एल-24 लाइसेंस -

(क) लाइसेंसधारक इस लाइसेंस के अंतर्गत वर्गीकृत औषधीय मदिरा के अतिरिक्त कोई भी अन्य मदिरा(वाइन) की बिक्री नहीं करेगा;

(ख) लाइसेंसधारक औषधीय उद्देश्य के अलावा अपने लाइसेंस के अंतर्गत किसी भी अन्य उत्पाद की बिक्री नहीं करेगा;

(ग) लाइसेंसधारक किसी भी व्यक्ति को 9 लीटर या बारह क्वार्ट बोटल से अधिक मात्रा में अपने लाइसेंस द्वारा अधिकृत किए गए किसी भी उत्पाद को किसी भी समय बिक्री नहीं करेगा , बशर्ते कि बड़ी मात्रा में बिक्री केमिस्ट का लाइसेंस रखने वाले व्यक्तियों और धर्मार्थ या सरकारी औषधालय को किया जा सकता है;

(घ) एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के आदेश को छोड़कर, लाइसेंसधारक किसी नाबालिग या विकृतचित्त व्यक्ति द्वारा उपभोग के लिए अपने लाइसेंस द्वारा अधिकृत किए गए किसी भी उत्पाद की जानबूझकर बिक्री नहीं करेगा या आपूर्ति नहीं करेगा;

(ड) 20 डिग्री प्रूफ स्पिरिट वाली मेडिकेटेड वाइन की बिक्री के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी ।

(14) एक क्लब में भारतीय मदिरा और विदेशी मदिरा परोसने हेतु फॉर्म एल-28 में लाइसेंस -

(क) लाइसेंसधारक को अनुमेय आयु सीमा के अधीन अपने सदस्यों या अपने मेहमानों के लिए क्लब परिसर में उपभोग के लिए रिटेल द्वारा भारतीय मदिरा या विदेशी मदिरा बेचने के लिए अधिकृत किया जाएगा ;

(ख) लाइसेंसधारक भारतीय मदिरा, विदेशी मदिरा, वाइन या बियर या तो गिलास में या पूर्ण बोतलों में प्रदानकरेगा। हालांकि, लाइसेंसधारक की एक मात्र जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी ग्राहक लाइसेंस प्राप्त बोतलों को लाइसेंस परिसर से बाहर न ले जाए;

(ग) कोई लाइसेंसधारक आबकारी आयुक्त की अनुमति के बिना, फॉर्म एल-7 वी और एल-7 एसपी1 लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति से कोई मदिरा नहीं खरीदेगा;

(घ) लाइसेंसधारक प्रति माह तीस अतिथि रातों का लाभ उठाने के लिए अधिकृत है;

(ङ) आबकारी आयुक्त प्रति माह तीस से अधिक अतिथि रातों की अनुमति देने के लिए अधिकृत है;

(च) लाइसेंसधारक क्लब के किसी भी क्षेत्र में कोई भी भारतीय मदिरा या विदेशी मदिरा परोस सकता है, जिसमें खुली जगह, क्लब की छत/बालकनी/निचले क्षेत्र भी शामिल है, इस शर्त के साथ कि सार्वजनिक दृश्य से मदिरा परोसने वाले क्षेत्र अदृश्य हो। हालांकि, क्लब के परिसर के भीतर बैंक्वेट हॉल/पार्टी वेन्यू में मदिरा प्रदान करने के लिए, फॉर्म एल-38 में अलग से लाइसेंस या पी-10ई के रूप में परमिट, जैसा भी मामला हो, आवश्यक होगा;

(15) क्लब/मेस जिनमें भारतीय और विदेशी मदिरा प्रदान की जाती है, जिसकी सदस्यता विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए होती है, जिसमें सशस्त्र बलों के सेवारत या सेवानिवृत्त सदस्य शामिल होते हैं और क्लब/मेस वाणिज्यिक आधारों पर नहीं चलाया जाता है उनके हेतु फॉर्म एल-29 लाइसेंस -

(क) लाइसेंसधारक अनुमेय आयु सीमा के अधीन भारतीय मदिरा और विदेशी मदिरा परिसर "पर" उपभोग हेतु अपने सदस्यों या अपने मेहमानों को बिक्री करेगा।

(ख) लाइसेंसधारक भारतीय मदिरा, विदेशी मदिरा, वाइन या बियर या तो गिलास में या पूर्ण बोतलों में प्रदान करेगा। हालांकि, लाइसेंसधारक की एकमात्र जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी ग्राहक लाइसेंस प्राप्त बोतलों को लाइसेंस परिसर से बाहर न ले जाए।

(ग) कोई लाइसेंसधारक आबकारी आयुक्त की अनुमति के बिना, एल-7वी और एल-7एसपी1 के रूप में लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति के अलावा किसी भी व्यक्ति से कोई मदिरा क्रय नहीं करेगा;

(घ) लाइसेंसधारक प्रति माह तीस अतिथि रातों का लाभ उठाने के लिए अधिकृत है;

(ङ) आबकारी आयुक्त प्रति माह तीस से अधिक अतिथि रातों की अनुमति देने के लिए अधिकृत है;

(च) लाइसेंसधारक क्लब परिसर के अंदर भारतीय मदिरा या विदेशी मदिरा को परोस सकता है, जिसमें खुली जगह, क्लब की छत/बालकनी/निचले क्षेत्र भी शामिल है, इस शर्त के साथ कि सार्वजनिक दृश्य से मदिरा परोसने वाले क्षेत्र अदृश्य हो। हालांकि, क्लब के परिसर के भीतर बैंक्वेट हॉल/पार्टी वेन्यू में इन मदिराओं को परोसने हेतु फॉर्म एल-38 में अलग से लाइसेंस या पी-10ई के रूप में परमिट, जैसा भी मामला हो, आवश्यक होगा।

(16) होटल प्रबंधन संस्थानों को प्रशिक्षण के उद्देश्य से मदिरा रखने हेतु फॉर्म एल-37 लाइसेंस -

(क) लाइसेंस सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होटल प्रबंधन संस्थान या अन्य शिक्षण संस्थान के लिए जारी किया जाएगा;

(ख) मदिरा केवल शिक्षण उद्देश्य के लिए ही उपयोग की जाएगी;

(ग) मदिरा केवल लाइसेंस खुदरा वेंड से ही क्रय की जाएगी;

(घ) मदिरा की सीमा आबकारी आयुक्त द्वारा तय की जाएगी।

(17) बैकेट हॉल, पार्टी स्थानों, मोटल, शादी/पार्टी स्थलों हेतु फॉर्म एल-38 लाइसेंस;

(क) उन स्थानों पर जहाँ विभिन्न आयोजन होते हो, ऐसे स्थानों को अपने परिसर में मदिरा परोसने हेतु एल-38 लाइसेंस लेना अनिवार्य है;

(ख) एल -7वीं और/या एल-7एसपी1 से शुल्क के किसी भी भुगतान (पी-10ई) के बिना निर्धारित प्रोफार्मा पर मदिरा क्रय करने हेतु आयोजन के मेजबान को सक्षम करने के लिए, एल -38 लाइसेंस में एक पत्र जारी करेगा जिसमें एल -38 लाइसेंस नंबर, आयोजन की तारीख, मेहमानों की संख्या आदि का उल्लेख किया जायेगा, ताकि मेजबान को मदिरा की खरीद करने के लिये सक्षम किया जा सके।

(ग) लाइसेंसधारक लाइसेंस प्राप्त परिसर के अन्तर किसी भी क्षेत्र में कोई भी भारतीय मदिरा या विदेशी मदिरा परोस सकता है, जिसमें खुली जगह, क्लब की छत/बालकनी/निचले क्षेत्र भी शामिल है, इस शर्त के साथ कि सार्वजनिक दृश्य से मदिरा परोसने वाले क्षेत्र अदृश्य हो।

17. नियम 69 में संशोधन:- प्रधान नियमों में, नियम 69 में उप नियम(3) (घ), में क्रम संख्या (अ) की प्रविष्टि को 'एमआरपी' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

18. नियम 82 में संशोधन:- प्रधान नियमों में, नियम 82 में

(i) उप-नियम (2)(क) में, "भारतीय मदिरा" शब्द को "भारतीय मदिरा और विदेशी मदिरा" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) उप-नियम (2) (ख) को लोपित किया जाएगा।

(iii) उप-नियम (2)(ग), (2) (घ) और (2) (ङ) को क्रमशः उप-नियम (2) (ख), (2)(ग) और (2)(घ) के रूप में पुनः व्यवस्थित किया जाएगा।

19. नियम 151 में संशोधन:- प्रधान नियमों में, नियम 151 के बाद खंड (2) में निम्न खंड निम्नानुसार सम्मिलित होंगे:-

"(3) दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियम 2021 द्वारा लाए गए किसी भी संशोधन के बावजूद, दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के तहत दिए गए सभी लाइसेंस और परमिट सरकार के निर्णय और अनुमेय प्रधान अधिनियमों और नियमों के अधीन होंगे।"

20. नियम 152 में संशोधन:- प्रधान नियमों में, नियम 152 में

(i) उप-नियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

'(1) भारतीय मदिरा(व्हिस्की, रम, जिन, वोडका, ब्रांडी, वाइन, लिकर, बीयर, ड्राफ्ट बीयर, साइडर, एल्कोपॉप) और विदेशी मदिरा (व्हिस्की, रम, वोडका, जिन, ब्रांडी, वाइन, लिकर, बीयर,साइडर)- ड्यूटी / थोक मूल्य का 1 प्रतिशत

बशर्ते कि देय शुल्क की राशि इन नियमों के नियम 54 के प्रावधानों के अधीन होगी।'

21. नियम 153 में संशोधन:- प्रधान नियमों में नियम 153 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

'153. कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) के माध्यम से बिक्री के लिए शुल्क की दर

कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (फॉर्म एल-23 लाइसेंस धारक) के माध्यम से भारतीय मदिरा और विदेशी मदिरा की बिक्री के लिए , ड्यूटी की दर थोक मूल्य का पैसठ प्रतिशत (65प्रतिशत) होगी।'

22. नियम 154 में संशोधन:- प्रधान नियमों में, नियम 154 में,

(i) उप-नियम (1) (क) में, श्ल-1 एफ और शब्द एल -32 को लोपित किया जाएगा।

- (ii) उप-नियम(1)(बी)में, शब्द '1 लाख रूपए' को 5 लाख रुपये के शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) उप-नियम (2) में, तालिका को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

क्रम संख्या	नियम संदर्भ	का	लाइसेंस के प्रपत्र	लाइसेंस का विवरण	वार्षिक लाइसेंस शुल्क
1	32 (1)		एल 4	रेक्टिफाइड स्पिरिट के थोक वेंड	25,000 / -रुपये
2	32 (1)		एल 5	विशेष विकृतीकृत स्पिरिट सहित विकृत स्पिरिट का थोक वेंड	25,000 / -रुपये
3	32 (1)		एल 6	सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय मदिरा की खुदरा वेंड	4,00,000 / -रुपये
4	32 (1)		एल -6एफजी	सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशी मदिरा की खुदरा वेंड L- 6 फार्म में लाइसेंस धारक के लिए।	एल -6 लाइसेंस के लिए लागू लाइसेंस शुल्क का दस प्रतिशत।
5	32 (1)		एल -6 एफई	सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशी मदिरा की खुदरा वेंड।	2,00,000 / -रुपए
6	32 (1)		एल -7 जेड	निजी क्षेत्र में भारतीय मदिरा, विदेशी मदिरा की खुदरा वेंड के लिए जोनल लाइसेंस।	नियम 48 के अनुसार निर्धारित किया जाना है।
7	32 (1)		एल-7एसपी1	भारतीय मदिरा, विदेशी मदिरा की सुपर प्रीमियम खुदरा वेंड।	नियम 48 के अनुसार निर्धारित किया जाना है।
8	32 (1)		एल-8	सार्वजनिक क्षेत्र में देशी मदिरा और दिल्ली मध्यम मदिरा (60 डिग्री) की खुदरा वेंड	2,00,000 / -रुपए
9	32 (1)		एल 11	माइक्रोब्रायरी द्वारा निर्मित बीयर का रिटेल वेंड	500 लीटर प्रतिदिन तक की स्थापित क्षमता के लिए 2,50,000 / -रुपए और 500 लीटर से 1000 लीटर तक प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के लिए 5,00,000 रुपए
10	32 (1)		एल 12	डिपार्टमेंटल स्टोर में बीयर और वाइन के खुदरा विक्रय की वेंड	2,00,000

11	32 (1)	एल 14	फॉर्म एल -8 में लाइसेंस धारक को दिल्ली इकोनॉमी लिबर (45 डिग्री) और बीयर की खुदरा वेंड।	2,00,000
12	32 (1)	एल 15	किसी होटल/मोटल या गेस्ट हाउस के कमरों में रहने वाले निवासियों के लिए भारतीय मदिरा और विदेशी मदिरा की सेवा, (चौबीस घंटे की सेवा)	<p>1. गेस्ट हाउस / होटल, जिसमें अधिकतम 100 कमरे या उससे नीचे हैं।</p> <p>2,50,000 और उसी लाइसेंस के अंतर्गत विदेशी मदिरा प्रदान करने की अनुमति होगी।</p> <p>गेस्ट हाउस / होटल जिसमें 101 से अधिक 400 तक कमरे हों— 7.5 लाख रूपए</p> <p>401 से अधिक कमरों वाले गेस्ट हाउस/होटल - 15 लाख रूपए</p>
13	32 (1)	एल -16	एक होटल या मोटल से जुड़े बार / रेस्तरां में भारतीय मदिरा और विदेशी मदिरा की सेवा	<p>2 सितारा बजट होटल— 10 लाख रूपए</p> <p>3 स्टार और 4 स्टार होटल -15 लाख रूपए</p> <p>5 सितारा और 5 सितारा होटल जिनमें डीलक्स होटल, प्रथम श्रेणी श्रेणी के होटल शामिल हैं - एक करोड़ रूपए जिसमें रेस्तरां में 24 घंटे काउंटरों के लिए मदिरा की सेवा के लिए शुल्क शामिल होगा और खुले क्षेत्रों में और साथ</p>

				<p>ही होटल परिसर में परोसने की अनुमति होगी।</p> <p>किसी भी गेस्ट हाउस, होटल में होने वाले किसी भी कार्यक्रम को अलग से पी10ई लाइसेंस प्राप्त करना होगा।</p> <p>*आवेदक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से होटल का वर्गीकरण प्रदान किया जायेगा।</p>
14	32 (1)	एल -17	स्वतंत्र रेस्तरां में भारतीय मदिरा और विदेशी मदिरा की सेवा	<p>1000 वर्ग फीट क्षेत्र -5 लाख रूपए</p> <p>1001 वर्ग फीट और 2500 वर्ग फीट के बीच का क्षेत्र -15 लाख रूपए</p> <p>2500 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्र- 25 लाख रूपए</p>
15	32 (1)	एल -19	अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आगमन या प्रस्थान क्षेत्रों में स्थित स्वतंत्र रेस्तरां में भारतीय मदिरा और विदेशी मदिरा की चौबीस घंटे सुविधा	25 लाख रूपए
16	32 (1)	एल 20	एक लक्जरी ट्रेन में बार/डाइनिंग कार में भारतीय मदिरा और विदेशी मदिरा की सेवा	1,00,000/-रूपए
17	32 (1)	एल -21	अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आगमन या प्रस्थान क्षेत्र में स्थित एक होटल से जुड़ी बार में भारतीय मदिरा और विदेशी मदिरा की 24 घंटे बिक्री की सेवा	<p>होटल से जुड़े 4 स्टार तक के होटलों के लिए एल-19 के नियम लागू होंगे।</p> <p>5 स्टार होटल और इसके बाद के संस्करण को एल-16 लाइसेंस प्राप्त करना होगा और वही नियम लागू होंगे।</p>

18	32 (1)	एल -22	अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रस्थान लाउंज पर स्थित परिसर से "बाहर" उपभोग के लिए शुल्क मुक्त दुकान में भारतीय मदिरा की खुदरा वेंड	2,50,000 /- रुपए
19	32 (1)	एल 23	सैन्य कैंटीन में भारतीय और विदेशी मदिरा की खुदरा वेंड	शून्य
20	32 (1)	एल -24	औषधीय मदिरा (मेडिकेटेड वाइन) की खुदरा वेंड	1000 /-रुपये
21	32 (1)	एल -25	विशेष विकृत स्पिरिट सहित विकृत स्पिरिट की खुदरा वेंड	1000 बीएल तक कब्जे की सीमा के लिएरू 2000 1000 बीएल कब्जे की सीमा के लिए से अधिक 5000 /-रुपये
22	32 (1)	एल -26	रेक्टिफाइड स्पिरिट का खुदरा वेंड	5000 /-रुपए
23	32 (1)	एल -27	भाग का खुदरा वेंड	5000 /-रुपए
24	32 (1)	एल 28	एक क्लब में भारतीय मदिरा और विदेशी मदिरा की सेवा	5 लाख रुपए सभी क्लबों जो खुली हवा क्षेत्रों, कई काउंटरों का उपयोग शामिल होगा और क्लब परिसर के भीतर सभी रेस्तरां / दुकानों को कवर किया जाएगा। एक बार नियमित रूप से एल-38 लाइसेंस प्राप्त होने के बाद इन क्लबों में आयोजित होने वाले किसी भी कार्यक्रम में अलग से पी10ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
25	32 (1)	एल 29	ऐसे क्लब/मेस में भारतीय एवं विदेशी मदिरा की सेवा जिसकी सदस्यता विशेष	25,000 /- रुपए

			रूप से सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों, सशस्त्र बलों के सेवारत या सेवानिवृत्त सदस्यों को प्राप्त हो तथा ऐसा क्लब/मेस जो वाणिज्यिक श्रेणी में नहीं आते हो।	
26	32 (1)	एल 30	व्यक्तिगत अधिकार की सीमा से अधिक घर पर मदिरा रखने का लाइसेंस ।	10000रु 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक' 20000रु 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक' *व्यक्ति को लाइसेंस आवेदन की अवधि के लिए घोषित आवासीय पते पर रहने की पुष्टि करते हुए घोषणा पत्र जमा करना चाहिए।
27	32 (1)	एल -34	विकृत स्पिरिट के भंडारण के लिए वेयर हाउस का लाइसेंस	20000 / -रुपए
28	32 (1)	एल 35	रेक्टिफाइड स्पिरिट के भंडारण के लिए वेयर हाउस का लाइसेंस	30000 / -रुपए
29	51 (2)		भारतीय मदिरा, विदेशी मदिरा और देशी मदिरा के खुदरा विक्रेता लाइसेंस के धारक के लिए अतिरिक्त भंडारण स्थान	प्रति माह इसी लाइसेंस शुल्क का दस प्रतिशत
30	32 (1)	एल -36	एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, दवाओं/नशीली दवाओं की बिक्री करने वाले के लिए नशीली दवाओं की बिक्री करने का लाइसेंस।	5000 / -रुपए
31	32 (1)	एल 37	प्रशिक्षण के उद्देश्य से मदिरा रखने के लिए होटल प्रबंधन संस्थानों के लिए लाइसेंस	25000 / -रुपए
32	32 (1)	एल -38	बैंक्वेट हॉल, पार्टी स्थल, फार्म हाउस, मोटल, वेडिंग/पार्टी/इवेंट वेन्यू का लाइसेंस एक बार के वार्षिक शुल्क के भुगतान पर उनके परिसर में होस्ट की गई सभी पार्टियों में भारतीय और विदेशी मदिरा परोसने की अनुमति के साथ	5000 वर्ग फीट तक का कालीन क्षेत्र 5,00,000 कालीन क्षेत्र 5000 से अधिक और 15000 वर्गफुट तक-10,00,000

				कालीन क्षेत्र 15000 वर्ग फुट से ऊपर— 15,00,000
--	--	--	--	---

(iv) 154 के उप-नियम (4) में, क्र.सं. 10 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

10	20 (1) (ग)	पी -10	भारतीय मदिरा और विदेशी मदिरा की सेवा लाइसेंस प्राप्त परिसर के अलावा किसी अन्य स्थान पर, जैसे कि इनडोर पार्टी या किसी भी सामुदायिक केंद्र में होने वाले समारोह में भारतीय मदिरा एवं विदेशी मदिरा की सेवा	शुल्क मेहमानों की संख्या के बावजूद / 10,000/—रुपए की दर से फीस लागू होगी ।
----	------------	--------	---	--

(v) उप-नियम (4) में, क्रम संख्या.10क पर प्रविष्टियों के बाद, एक नया क्रम संख्या.10ख निम्नानुसार होगा:—

10ख	33	पी-10 ई	बैंक्वेट हॉल, पार्टी स्थानों, फार्म हाउस, शादी / पार्टी / कार्यक्रम स्थलों पर भारतीय मदिरा और विदेशी मदिरा की सेवा के लिए अनुमति ।	उक्त स्थलों के पास नियमित एल-38 लाइसेंस न होने की स्थिति में प्रति आयोजन पर 50,000/—रुपये का शुल्क लागू होगा ।
-----	----	---------	--	--

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर
प्रिंस धवन, विशेष सचिव (वित्त)

FINANCE (REV-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 25th May, 2021

No. F.10/2//2021-22/SRD/Fin(B)/JSBudget/882-892.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 81 of the Delhi Excise Act, 2009 (Delhi Act 10 of 2010), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules to further amend the Delhi Excise Rules, 2010, namely:-

1. Short Title and Commencement .- (1) These rules may be called the Delhi Excise (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

PROVIDED that different dates may be appointed for different provisions of these rules and any reference in any such provision to the commencement of these rules shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

2. Amendment in Rule 2:

(i) In the Delhi Excise Rules, 2010 (hereinafter referred to as principal rules), after sub-rule (5), the words 'can and pouch' shall be substituted with the words '*can, pouch and aseptic packaging*'.

(ii) After Sub-rule (51), the following sub-rule shall be inserted as under:

‘(52) “zone” means an area defined by the Excise Commissioner, from time to time, for the purpose of allocation of Retail Licences.’

3. **Amendment in Rule 24:** In the principal rules, the rule 24 shall be omitted.
4. **Amendment in Rule 30:** In the principal rules, in rule 30 after the words ‘show window’ and before the full stop, the words, ‘or in any other manner. However, showcasing or branding of liquor will be allowed only inside the retail vend in a zone (L-7V & L-7SP1)’, shall be inserted.
5. **Amendment in Rule 32:** In the principal rules, in rule 32, the table after the word ‘prescribed fee:-’ shall be substituted as under:

<i>S.No.</i>	<i>Form</i>	<i>Details of Licences</i>	<i>Authority empowered to grant</i>	<i>Authority empowered to renew</i>
1	L-1	Wholesale vend of Indian liquor, Foreign Liquor, Draught Beer	Deputy Commissioner	Not renewable
2	L-3	Wholesale vend of Country Liquor	Deputy Commissioner	Not renewable
3	L-4	Wholesale vend of Rectified Spirit.	Deputy Commissioner	Deputy Commissioner
4	L-5	Wholesale vend of Denatured Spirit including Special Denatured Spirit	Deputy Commissioner	Deputy Commissioner
5	L-6	Retail vend of Indian Liquor in public sector	Deputy Commissioner	Deputy Commissioner
6	L-6FG	Retail vend of Foreign Liquor in public sector to the holder of licence in form L- 6 .	Deputy Commissioner	Deputy Commissioner
7	L-6FE	Retail vend of Foreign Liquor in public sector.	Deputy Commissioner	Deputy Commissioner
8	L-7 Z	Zonal Licence for Retail vend of Indian Liquor, Foreign Liquor in Private Sector	Deputy Commissioner	Deputy Commissioner
9	L-7V	Retail vend of Indian Liquor, Foreign Liquor in Private Sector in a Zone	Deputy Commissioner	Deputy Commissioner
10	L-7SP1	Super Premium Retail vend of Indian Liquor, Foreign Liquor	Deputy Commissioner	Deputy Commissioner
11	L-8	Retail vend of Country Liquor in public sector	Deputy Commissioner	Deputy Commissioner
12	L-11	Retail vend of Beer, manufactured by Microbrewery.	Deputy Commissioner	Deputy Commissioner
13	L-12	Retail vend of Beer and Wine in Departmental Store.	Deputy Commissioner	Deputy Commissioner
14	L-12F	Retail vend of Foreign Beer and Wine in Departmental Store to the holder of licence in form L-12.	Deputy Commissioner	Deputy Commissioner
15	L-13	Retail Vend of Indian Liquor for Home Delivery	Deputy Commissioner	Deputy Commissioner
16	L-13F	Retail vend of Foreign Liquor for home delivery to the holders of Licence in Form L-13	Deputy Commissioner	Deputy Commissioner
17	L-14	Retail vend of economy Indian Liquor and Beer to holder of licence in form L-8	Deputy Commissioner	Deputy Commissioner
18	L-15	Service of Indian Liquor and Foreign in a hotel to residents in their rooms	Deputy Commissioner	Deputy Commissioner
19	L-16	Service of Indian Liquor & Foreign	Deputy	Deputy

		<i>in a bar/restaurant attached to a Hotel</i>	<i>Commissioner</i>	<i>Commissioner</i>
20	L-17	<i>Service of Indian Liquor and Foreign in independent restaurant</i>	<i>Deputy Commissioner</i>	<i>Deputy Commissioner</i>
21	L-19	<i>Round the clock service of Indian and Foreign Liquor in independent restaurant located either in arrival or departure area of International Airport.</i>	<i>Deputy Commissioner</i>	<i>Deputy Commissioner</i>
22	L-20	<i>Service of Indian and Foreign Liquor in a bar/dining car in a luxury train.</i>	<i>Deputy Commissioner</i>	<i>Deputy Commissioner</i>
23	L-21	<i>Round the clock service/sale of Indian and Foreign Liquor in a bar attached to a hotel located either in arrival or departure area of International Airport</i>	<i>Deputy Commissioner</i>	<i>Deputy Commissioner</i>
24	L-22	<i>Retail vend of Indian Liquor in duty free shop for consumption "off" the premises located at departure Lounge of International Airport</i>	<i>Deputy Commissioner</i>	<i>Deputy Commissioner</i>
25	L-23	<i>Retail vend of Indian and Foreign Liquor in military canteen</i>	<i>Deputy Commissioner</i>	<i>Deputy Commissioner</i>
26	L-24	<i>Retail vend of Medicated Wine</i>	<i>Deputy Commissioner</i>	<i>Deputy Commissioner</i>
27	L-25	<i>Retail vend of Denatured Spirit including Special Denatured Spirit</i>	<i>Deputy Commissioner</i>	<i>Deputy Commissioner</i>
28	L-26	<i>Retail vend of Rectified Spirit</i>	<i>Deputy Commissioner</i>	<i>Deputy Commissioner</i>
29	L-27	<i>Retail vend of Bhang</i>	<i>Deputy Commissioner</i>	<i>Deputy Commissioner</i>
30	L-28	<i>Service of Indian and Foreign Liquor in a club</i>	<i>Deputy Commissioner</i>	<i>Deputy Commissioner</i>
31	L-29	<i>Service of Indian and Foreign Liquor at a club/mess whose membership is exclusively for Government servants, retired Government servants, including members of armed forces, serving or retired and the club/mess is not run on commercial lines.</i>	<i>Deputy Commissioner</i>	<i>Deputy Commissioner</i>
32	L-30	<i>Licence for possession of liquor at home in excess of individual possession limit.</i>	<i>Deputy Commissioner</i>	<i>Assistant Commissioner</i>
33	L-31	<i>Licence for Warehouse for storage of Indian Liquor, Foreign Liquor, Draught Beer</i>	<i>Excise Commissioner</i>	<i>Not renewable</i>
34	L-33	<i>Licence for Warehouse for storage of Country Liquor</i>	<i>Excise Commissioner</i>	<i>Not renewable</i>
35	L-34	<i>Licence for Warehouse for the storage of denatured spirit</i>	<i>Excise Commissioner</i>	<i>Excise Commissioner</i>
36	L-35	<i>Licence for Ware house for the storage of rectified spirit</i>	<i>Excise Commissioner</i>	<i>Excise Commissioner</i>
37	L-36	<i>Licence to a registered medical practitioner, a chemist/druggist for sale of</i>	<i>Deputy Commissioner</i>	<i>Deputy Commissioner</i>

		<i>Intoxicating Preparations.</i>	<i>Spirituous</i>	
38	L-37	<i>Licence for Hotel Management Institutes for keeping liquor for the purpose of training</i>	<i>Deputy Commissioner</i>	<i>Deputy Commissioner</i>
39	L-38	<i>License for Banquet Halls, Party Places, Farm Houses, Motels, Wedding/Party/Event Venues with permission to serve Indian and Foreign liquor in all the parties hosted at their premises on payment of one-time annual fee</i>	<i>Deputy Commissioner</i>	<i>Deputy Commissioner</i>

- 6. Amendment in Rule 33:** In the principal rules, in rule 33 after S.no.10A, new S.no.10B shall be inserted as under:

10B	P-10E	<i>Permit for service of Indian Liquor and Foreign Liquor at Banquet Halls, Party places, Farm Houses, Wedding/party/event venues.</i>	<i>Deputy Commissioner</i>	<i>Deputy Commissioner</i>
-----	-------	--	----------------------------	----------------------------

- 7. Amendment in Rule 35:** In the principal rules, the rule 35 shall be substituted as under:

'Rule 35: Certain licenses not to be granted in conjunction with other licenses. - Except with the permission of the Government,

(1) No person shall be granted more than one wholesale licence in form L-1.

(2) No licence for retail sale of liquor for consumption "off" the premises and for consumption "on" the premises shall be granted to the holder of whole sale licence and vice versa:

(3) No retail licence for consumption of liquor "off" the premises shall be granted to a person holding any other retail licence:

Provided that more than one licence in form L-6, L-7Z, L-7V, L-7SP1, L-8 and L-14 may be granted to a person.

Provided further that not more than two L-7Z licenses may be granted to a person.'

- 8. Amendment in Rule 36:** In the principal rules, the rule 36 shall be substituted as under:

"Restrictions as to grant of Licences to distillery, brewery, winery or bottling plant - Licence in Form L-1 shall not be granted to any distillery, brewery, winery or bottling plant. However, Licence in Form L-3 shall only be granted to a distillery or bottling plant."

- 9. Amendment in Rule 37:** In the principal rules, in rule 37 after clause(1), 2010 the followings provisos shall be added-

"Provided that the Deputy Commissioner may impose such additional conditions regarding eligibility of licencees for grant of licenses with the prior approval of the Government"

"Provided further that licence in the form L-1, L-7Z, L-7V and L-7SP1 shall not be granted to any company or society owned by any State Government or its Undertaking."

- 10. Amendment in Rule 41:** In the principal rules, the rule 41 shall be substituted and read as under:

'All applications for the renewal of licenses and permits shall be received in the office of the Deputy Commissioner before the end of February each year along with licence or permit fee, payable for the renewal of licence or permit.

In case of delay, the Deputy Commissioner may admit such application before the expiry of the licence or permit, provided that there are good and sufficient reasons for the delay on payment of additional fee of twenty five percent of the prescribed licence or permit fee:

Provided that the application for renewal of licence or permit may be admitted including those granted in the month of March may be admitted after the expiry of the licence or permit, if there are good and sufficient reasons for the delay on payment of double the amount of licence or permit fee payable, and the licence or permit may be renewed with the approval of the Excise Commissioner.

Provided further that in case of licence in form L-7Z, L-7SP1, the license fee to be paid at the time of renewal shall be as determined by the Government from time to time.

Provided further that in case of licence in Form L-15, L-16 and L-17, the licence fee shall be payable in two equal installments after completion of all documentary requirements. First installment of 50% of the license fee should be paid by 15th March each year, failing which additional fee of 25% of first installment shall be payable till 31st March and beyond that double the amount of first installment shall be payable. Second installment of remaining balance amount of license fee should be paid before 30th September each year alongwith interest @12 percent per annum, failing which double the amount of second installment shall be payable.'

11. Amendment in Rule 45: In the principal rules, in rule 45, the words 'L-15F', 'L-16F', 'L-17F', 'L-28F', 'L-29F' shall be omitted.

12. Amendment in Rule 51: In the principal rules, in the rule 51,

- (i) In the proviso to sub-rule (4), after the word 'L-12', the words, 'and super premium retail vend holding license in form L-7SP1' shall be inserted.
- (ii) In sub-rule (5), wherever the word 'Forms' is mentioned, the same shall be substituted with the word 'Form' and the words 'L-15F' and 'L-16F' wherever mentioned, the same shall be omitted.
- (iii) In sub-rule (8), the word 'L-20F' shall be omitted.
- (iv) Sub-rule (10), shall be substituted as under:

"Retail licences for consumption "on" the premises, shall be granted at a site, subject to furnishing of No Objection Certificate from the Fire Department in accordance with the guidelines of Delhi Fire Service".

13. Amendment in Rule 53: In the principal rules, in rule 53,

- (i) "Sub-rule (1) shall be omitted.
- (ii) In Sub-rule (4), the proviso shall be substituted as under:

'Provided that the licensees holding license for consumption "on" the premises may be permitted, subject to such terms and conditions as may be imposed by Deputy Commissioner by general or specific order, to play any type of entertainment/performance including music and musical instruments, dancing, or singing by professionals or DJ, Live Bands, and Karaoke on its premises.'

- (iii) The Sub-rules (2) to (10) shall be renumbered as Sub-rules (1) to (9) respectively".

14. Amendment in Rule 55: In the principal rules, in rule 55, after sub-rule (9) , a new sub-rule (10) shall be inserted as under:

'(10) Every L1 Licensee shall set-up a Government approved laboratory at their warehouses to randomly check the presence of sub-standard liquor or spurious liquor in each batch of liquor received from the manufacturers. The L1 Licensee shall have the duty and responsibility to systematically check the liquor being sent to them for the presence of sub-standard liquor or spurious liquor and mandatorily inform the Excise Department in case any sub-standard liquor or spurious liquor is found in the supplies'

15. Amendment in Rule 58: In the principal rules, in rule 58, a new proviso shall be inserted as under:

“Provided that in case of licences granted in form L-7Z or L-7SP1, the security deposit shall be forfeited and the surrendered license shall be retendered and the said licensee shall be prohibited from participating in any other bidding process for a period of 2 years”.

16. Amendment in Rule 66: In the principal rules, the rule 66 shall be substituted as under:

‘Rule 66.Special conditions.-

Licences in different forms prescribed in the rules shall, in addition to the conditions prescribed elsewhere, be subject to the special conditions prescribed as under-

(1) License in form L-1 for wholesale of Indian Liquor, Foreign Liquor and Draught beer to the trade.-

(a) the licensee shall sell liquor only to the holders of licence for consumption “off” the premises or as directed by the Excise Commissioner;

(b) the licensee shall have a bonded Warehouse duly licensed by the Excise Commissioner for storage of both Indian Liquor and Foreign Liquor. However, in case of Foreign Liquor, such bonded warehouse shall be in addition to the Customs approved bonded warehouse;

(c) duty on Indian Liquor imported into Delhi shall be payable by the licensee before grant of import pass at such rates as may be notified, unless the liquor is to be kept, after import in a bonded warehouse, established or licensed by the Excise Commissioner.

(d) In case of Foreign liquor, the licensee shall affix the sticker containing the statutory requirements of retail price, label and hologram or any other security feature as decided by the Excise Commissioner in the godown approved by the Excise Commissioner.

(e) the licensee shall furnish authorization letter from the manufacturer or the importer in India for every brand;

(f) the licensee shall satisfy the following conditions for supply of draught beer:

(i) the draught beer shall be imported in kegs only;

(ii) there should be proper refrigeration arrangements for the safe storage of draught beer;

(iii) it shall be the duty of the licensee to ensure that no stale or deteriorated beer is sold;

(iv) the draught beer once imported into Delhi, shall not be allowed to be exported for any reason whatsoever;

(v) mixing of Co2 may be done within the permissible limits to provide necessary fizz.

(vi) If after import of draught beer, it is found to have been deteriorated either during the transport of the kegs from the brewery to the licensed premises or the licensee has subsequently found that such stocks have deteriorated during the storage prior to sale, the same shall be destroyed, after the receipt of the report from the Chemical Examiner, with the permission of the Deputy Commissioner.

(2) Licence in form L-3 for the wholesale vend of Country Liquor.-

(a) the licensee shall not sell Country Liquor to any person other than the holder of licence in form L-8;

(b) the Government may fix the wholesale price (exclusive of duty, retail margin, local transport charges and VAT of Country Liquor and may fix different prices for different types of Country Liquor:

Provided that the Government may authorize any officer or committee of officers, to negotiate with the tenderer with a view to arrive at a uniform lowest price for supply of

country liquor in bottles of different sizes. No tenderer shall have any right to be called for negotiation:

Provided further that having once fixed the price, the Government shall not vary it to the disadvantage of the licensee during the currency of his licence and that he shall not vary the price, if licence has been granted on the basis of prices quoted in competitive tenders;

(c) the licensee shall not bottle, case, capsule or label country liquor on the premises of his licence, unless specially permitted to do so by the Excise Commissioner;

(d) the licensee shall, in addition to any quantities which he may be required to make available for sale under clause

(e) the licensee shall, during the currency of his licence, acquire and make available for sale such quantities of country liquor in different sizes of bottles in a year as may be required by an order of the Excise Commissioner and the Excise Commissioner shall not be under any obligation to guarantee the sale of all the country liquor so required to be made available;

(f) the licensee shall make supplies as may be required in the terms and conditions under which licence is granted;

(g) subject to the provisions contained in clauses (d) and (f), the licensee shall make available for sale in his licensed premises so much of country liquor as can be manufactured out of extra neutral alcohol, if allocated to him, by the Excise Commissioner and shall, for this purpose take all necessary actions, including action to obtain allocation orders from the Excise Commissioner and release orders from other Excise Authorities;

(h) the licensee shall render a true and correct account of the quantities of extra neutral alcohol, if allocated and released to him, utilised and supplied by him in the form of country liquor and remaining in balance with him so as to reach the Deputy Commissioner on or before the 3rd day after the close of the fortnight to which the statement pertains.

(3) Licences in form L-6, L-6FG, L-6FE, L-7Z, L-7V, L-7SP1 and L-12 for retail sale of Indian Liquor and Foreign Liquor:-

(a) the licensee shall sell liquor to the holders of license for consumption "on" the premises and also to individuals for consumption "off" the premises.

(b) the licensee shall not sell liquor to any person for consumption "on" the premises.

Provided that in case of licensees holding more than one licences, the transfer of stock from one licensed premises to another may be made with the prior approval of the Deputy Commissioner or any other excise officer authorized by him.

(4) Licence in form L-8 for the retail vend of country liquor for consumption "off" the premises.-

(a) the licence for retail vend of country liquor shall be granted by tender, auction or fixed fee;

(b) the licensee shall, unless otherwise permitted by the Excise Commissioner in exceptional cases, get his requirement of country liquor from a person licensed to sell country liquor by wholesale in Delhi;

(c) the licensee may, if no arrangement is made in Delhi, obtain his supplies of country liquor up to 20 percent of his sale of country liquor from any distillery or bottling plant, approved for this purpose by the Excise Commissioner:

Provided that in the case of the import of country liquor in bulk, beyond the limits of Delhi, the licensee shall not break bulk until the consignment has reached Delhi and has been compared by an Excise Inspector with the pass, covering the consignment;

(d) the licensee shall not sell or expose for sale country liquor in bottles of such shape or colour or bearing such figures, words or marks as are reasonably made to lead persons to believe that such liquor is other than country liquor;

(e) the licensee shall sell country liquor at such rates as may, from time to time, be fixed by the Government;

(f) the licensee shall maintain account of receipt and sale in form F-6 and shall at the end of each month prepare and submit to the Excise Department a monthly true abstract of receipt and sales;

(g) the licensee shall not store in the licensed premises-

(i) any empty liquor bottle, cork, capsule, pilfer proof seal, bottle neck etc., except as provided under the rules;

(ii) any bottle of soda water or any other soft drink;

(iii) rectified spirit and denatured spirit;

(iv) any other intoxicant;

(5) License in Form L-11 for beer manufactured by Microbrewery:

(a) Each micro-brewery will have to appoint a L-1 distributor for any off-premise sale. Micro-Brewery shall be allowed to supply to other bars and restaurants who have L-15, L-16, L-17, L-19, L-20, L-21, L-28, L-29 & L-38 licenses. The orders can only be placed by the above license holders through a retail vend (L-7V/L-7SP1) who will procure the product from an L1 distributor.

(b) Draught beer shall be allowed to be taken away in bottles or 'growlers'. However, wherever draught beer is being served as a take away, clear signage and information will be need to put up about its short shelf life and the bottles will have to mention the expiry date clearly.

(c) Draught beer manufactured by Microbrewery shall be allowed to be served at permitted events which have the P-10, P-10E, P-11, P-13 permits. The L-1 distributor and the Micro-Brewery will have the responsibility to reinforce the expiry date and ensure no product outside the expiry date is being sold at the outlets.

(d) Any L-15, L-16, L-17, L-19, L-20, L-21, L-28, L-29 and L-38 license holder found selling draught beer after its expiry date will immediately have his license revoked.

(6) Licence in Form L-13 for home delivery of Indian liquor and Foreign Liquor by ordering through mobile app or online web portal:

(a) the licensee shall make delivery of liquor at the residences only if order is received through mobile app or online web portal and no delivery shall be made to any hostel, office, and institution;

(b) the licensee shall not sell liquor to any person for consumption "on" the premises;

(c) the licensee shall not sell liquor to any other licensee:

PROVIDED that in case of licensees holding more than one licences, the transfer of stock from one licensed premises to another maybe made with the prior approval of the Deputy Commissioner or any other excise officer authorized by the Deputy Commissioner.

(7) Licences in Form L-15 for service of Indian Liquor and Foreign Liquor in a hotel or guesthouse to the residents in their rooms:

(a) no liquor shall be served by the licensee to any person except on the order of a bonafide resident;

(b) no liquor shall be served by the licensee at any place other than the room in which the person ordering it resides for the time being;

(c) no licensee shall purchase any liquor from any person other than a person holding a licence in Forms L-7V & L-7SP1, without the permission of the Excise Commissioner.

(8) Licences in Form L-16 for service of Indian liquor and Foreign Liquor in a bar attached to a hotel:-

(a) the licensee may serve any Indian Liquor or Foreign Liquor at any area (excluding the rooms within the premises of the hotel), including open spaces viz. terrace / balcony / lower area of Hotel with the condition that the liquor serving area shall be screened off from the public view. However, for serving these liquors in banquet halls/party venues within the premises of the hotel, separate license in form L-38 or permit in form P-10E, as the case may be, shall be required.

(b) the licensee may store Indian Liquor and Foreign Liquor at any place, including refrigerator, within the licensed premises.

(c) the licensee shall serve Indian Liquor, Foreign Liquor, wine or beer either in glasses or in full bottles. However, it shall be the sole responsibility of the licensee to ensure that no customer takes the served bottles out of the licensed premises.

(d) no licensee shall purchase any liquor from any person other than a person holding licences in form L-7V & L-7SP1, without the permission of the Excise Commissioner.

(e) the licensee may retain two dispensing counters without any additional charge. However, for retaining more than two dispensing counters, additional payment @ 5% of the applicable license fee per additional counter shall be charged.

(9) Licences in form L-17, L-19, and L-21 for service of Indian Liquor and Foreign Liquor for consumption "on" the premises in independent restaurant.-

(a) the licensee may serve any Indian Liquor or Foreign Liquor at any area within the premises of the restaurant, including open spaces viz. terrace/balcony/lower area of restaurant, if any, specified and endorsed on its licence subject to the condition that the liquor serving area shall be screened off from the public view.

(b) the licensee may store Indian Liquor and Foreign Liquor at any place, including refrigerator, within the licensed premises;

(c) the licensee shall serve Indian Liquor, Foreign Liquor, wine or beer either in glasses or in full bottles. However, it shall be the sole responsibility of the licensee to ensure that no customer takes the served bottles out of the license premises.

(d) no licensee shall purchase any liquor from any person other than a person holding licences in form L-7V & L-7SP1, without the permission of the Excise Commissioner.

(e) the licensee may retain two dispensing counters without any additional charge. However, for retaining more than two dispensing counters, additional payment @ 5% of the applicable license fee per additional counter shall be charged.

(10) Licences in Form L-20 for service of Indian Liquor and Foreign Liquor in a bar or a dining car in a luxury train.-

(a) the licensee shall be India Tourism Development Corporation, a State Tourism Development Corporation, its units or any other agency, approved by the Excise Commissioner;

(b) the licensee shall not serve Indian Liquor and Foreign Liquor at any premises other than the premises of the bar or dining car specified and endorsed on the licence;

(c) the licensee shall serve Indian Liquor, Foreign Liquor, wine or beer either in glasses or in full bottles. However, it shall be the sole responsibility of the licensee to ensure that no customer takes the served bottles out of the license premises.

(d) the licensee shall serve Indian Liquor and Foreign Liquor for consumption "on" the premises only to bonafide passengers boarding the train;

(e) the licensee shall not serve Indian Liquor and Foreign Liquor to persons employed in railway service on train;

(f) the licensee shall be required to take licence for service of Indian Liquor and Foreign Liquor from the excise authorities of those states through which the train passes;

(g) no licensee shall purchase any liquor from any person other than a person holding licences in form L-7V & L-7SP1, without the permission of the Excise Commissioner.

(h) in the event of dismantling of bar in the train for any reason, whatsoever, the licensee shall intimate the stock position of liquor to the Excise Commissioner and it may be disposed of in the manner as decided by him.

(11) Licence in Form L-22 for the retail vend of Indian Liquor in duty free shop for consumption "off" the premises.-

(a) the licensee shall sell Indian Liquor in retail for consumption 'off' the premises to bonafide passengers going out of India, against foreign exchange;

(b) The licensee shall not sell Indian Liquor to persons employed at air port except under the rules framed by the administration concerned;

(12) Licence in form L-23 and L23F for the vend of Indian Liquor and Foreign Liquor in military canteen approved by the competent military authority.-

(a) licence in form L-23 shall be granted on the basis of dependency certificate issued by the Area Manager of the Canteen Stores Department, Delhi for sale of Indian Liquor and Foreign Liquor only in military unit;

(b) the licensee shall not sell liquor, except such liquor as he may be permitted to sell;

(c) notwithstanding anything contained in sub-rule (2) of rule 51, the licensee shall establish separate places of vend without taking separate licences in cases where a portion of a unit is detached for training and other purposes or is left behind;

(d) the licensee shall not sell liquor of any description to persons other than those attached to the regiment for which his licence is granted or duly authorised by the competent military authority to use such canteens;

(13) Licence in form L-24 permitting sale of medicated wines.-

(a) the licensee shall not sell under this licence any wine, except the wines which are classified as medicated wines;

(b) the licensee shall not sell any article covered by his licence except for medicinal purpose;

(c) the licensee shall not sell to any person at any one time any article covered by his licence in greater quantity than 9 litres or twelve quart bottles, provided that sale in larger quantities may be made to persons holding a chemist's licence and to Government and charitable dispensaries;

(d) except upon the order of a medical practitioner, the licensee shall not knowingly sell or supply any article covered by his licence for consumption by a minor or a person of unsound mind;

(e) no licence shall be required for the sale of medicated wine, containing up to 20 degree proof spirit.

(14) Licence in form L-28 for service of Indian Liquor and Foreign Liquor at a club.-

(a) the licensee shall be authorised to sell Indian Liquor or Foreign Liquor by retail for consumption on the club premises to its members or their guests, subject to permissible age limit;

(b) the licensee shall serve Indian Liquor, Foreign Liquor, wine or beer either in glasses or in full bottles. However, it shall be the sole responsibility of the licensee to ensure that no customer takes the served bottles out of the license premises.

(c) no licensee shall purchase any liquor from any person other than a person holding licences in form L-7V & L-7SP1, without the permission of the Excise Commissioner;

(d) the licensee is authorized to avail thirty guest nights per month;

(e) Excise Commissioner may permit guest nights exceeding thirty per month;

(f) the licensee may serve any Indian Liquor or Foreign Liquor at any area within the premises of the club, including open spaces viz. terrace/balcony/lower area of Club with the condition that the liquor serving area shall be screened off from the public view. However, for serving these liquors in banquet halls/party venues within the premises of the club, separate license in form L-38 or permit in form P-10E, as the case may be, shall be required.

(15) Licence in form L-29 for retail vend of Indian Liquor and Foreign for consumption "on" the premises at club or mess whose members are exclusively Government servants and retired Government servants, including the members of armed forces serving or retired and such a club or mess is not running on commercial lines.-

(a) the licensee shall sell Indian Liquor and Foreign Liquor by retail for consumption "on" the premises to its members or their guests, subject to permissible age limit.

(b) the licensee shall serve Indian Liquor, Foreign Liquor, wine or beer either in glasses or in full bottles. However, it shall be the sole responsibility of the licensee to ensure that no customer takes the served bottles out of the license premises.

(c) no licensee shall purchase any liquor from any person other than a person holding licences in form L-7V & L-7SP1, without the permission of the Excise Commissioner;

(d) the licensee is authorized to avail thirty guest nights per month;

(e) Excise Commissioner may permit guest nights exceeding thirty per month;

(f) the licensee may serve any Indian Liquor and Foreign Liquor at any area within the premises of the club, including open spaces viz. terrace/balcony/lower area of club with the condition that the liquor serving area shall be screened off from the public view.

However, for serving these liquors in banquet halls/party venues within the premises of the club, separate license in form L-38 or permit in form P-10E, as the case may be, shall be required.

(16) Licence in form L-37 for Hotel Management Institutes for keeping liquor for the purpose of training.-

(a) the licence shall be issued to Hotel Management Institute or other teaching institute recognized by the Government;

(b) the liquor shall be used for teaching purpose only;

(c) the liquor shall be purchased from licensed retail vends only;

(d) the limit of liquor shall be decided by the Excise Commissioner.

(17) Licence in Form L-38 for banquet hall, party places, motel, wedding/party venues;

(a) Venues which conduct multiple events have to mandatory take the L-38 Licence in order to serve liquor in their premises;

(b) To enable host of the events procure liquor, the L-38 License shall issue a letter mentioning therein its L-38 license Number, date of the event, number of guests etc. to the host of the event to enable him/her to procure the liquor on prescribed proforma without any payment of fees (P-10E) from L-7V and/ or L-7SP1 vend.

(c) The licensee may serve any Indian Liquor and Foreign Liquor at any area within the Licensed premises including open spaces viz. terrace/balcony/lower area with the condition that the liquor serving area shall be screened off from the public view.'

17. Amendment in Rule 69: In the principal rules, in rule 69, in sub-rule (3) (d), entry at S.No. (v) shall be substituted by 'MRP'.

18. Amendment in Rule 82: In the principal rules, in the rule 82;

(i) In Sub-rule (2)(a), the words 'Indian liquor' shall be substituted by the words 'Indian Liquor and Foreign Liquor'

(ii) The Sub-rule (2)(b) shall be omitted.

(iii) The Sub-rule (2)(c), (2)(d) and (2)(e) shall be rearranged as Sub-rule (2)(b), (2)(c) and (2)(d) respectively.

19. Amendment in Rule 151: In the principal rules, in rule 151, after clause (2), the following clause shall be inserted as under;

"(3) Notwithstanding any amendments brought by the Delhi Excise (Amendment) Rules 2021, all licences and permits granted under the Delhi Excise Rules, 2010 shall continue till such time as decided by the Government, subject to adherence of requirements of principal act and rules."

20. Amendment in Rule 152: In the principal rules, in rule 152;

(i) The sub-rule (1) shall be substituted as under:-

'(1) Indian Liquor (Whisky, Rum, Gin, Vodka, Brandy, Wine, Liqueur, Beer, Draught Beer, Cider, Alcopop) and Foreign Liquor (Whisky, Rum, Vodka, Gin, Brandy, Wine, Liqueur, Beer and Cider) – Duty @ 1% of Wholesale Price.

Provided that the amount of duty payable shall be subject to the provisions of rule 54 of these rules.'

21. Amendment in Rule 153: In the principal rules, rule 153 shall be substituted as under:

'153. Rate of duty for sale through Canteen Stores Department (CSD).- For sale of Indian Liquor and Foreign Liquor through the Canteen Stores Department (holders of Licence in Form L-23), the rate of duty shall be Sixty Five percent of the Wholesale price.'

22. Amendment in Rule 154: In the principal rules, in rule 154,

(i) In Sub-rule (1)(a), the word 'L-1F' and the word 'L-32' shall be omitted.

(ii) In Sub-rule (1)(b), the words 'Rs. 5 Lacs' shall be substituted by the words 'Rs. 1 Lac'.

(iii) In Sub-rule (2), the table shall be substituted as under:

S.No.	Reference of Rule	Forms of License	Description of Licenses	Annual License fee
1	32(1)	L-4	Wholesale Vend of Rectified Spirit	25,000
2	32(1)	L-5	Wholesale vend of Denatured spirit including special denatured spirit	25,000

3	32 (1)	L-6	Retail vend of Indian Liquor in public sector	4,00,000
4	32 (1)	L-6 FG	Retail vend of Foreign Liquor in public sector to the holder of licence in form L- 6 .	Ten percent of license fee applicable for L-6 license.
5	32 (1)	L-6FE	Retail vend of Foreign Liquor in public sector.	2,00,000
6	32(1)	L-7 Z	Zonal Licence for Retail vend of Indian Liquor, Foreign Liquor in Private Sector.	To be determined in accordance with Rule 48.
7	32(1)	L-7SPI	Super Premium Retail vend of Indian Liquor, Foreign Liquor.	To be determined in accordance with Rule 48.
8	32(1)	L-8	Retail vend of Country Liquor and Delhi Medium Liquor (60 degrees) in public sector	2,00,000
9	32(1)	L-11	Retail Vend of Beer, manufactured by Microbrewery	Rs. 2,50,000 for installed capacity upto 500 litres per day Rs. 5,00,000 for installed capacity of more than 500 litres and upto 1000 litres per day
10	32(1)	L-12	Retail vend of beer and wine in Departmental Stores.	2,00,000
11	32(1)	L-14	Retail vend of Delhi Economy Liquor (45 degrees) and Beer to holder of license in Form L-8.	2,00,000
12	32(1)	L-15	Service of Indian Liquor and Foreign Liquor in a hotel, motel or guest house to residents in their rooms (for round the clock service).	Guest houses/hotels with up to 100 rooms or below -Rs. 2,50,000 and will be allowed to serve foreign liquor within the same license itself. Guest houses/hotels with more than 101 rooms up to 400 rooms - Rs.7.5 lakh. Guest houses/hotels with more than 401 rooms - Rs.15 lakh.
13	32(1)	L-16	Service of Indian Liquor and Foreign Liquor in a bar/restaurant attached to a hotel or motel	Budget hotels to 2 Star hotels -Rs.10 lakh. 3 Star and 4 Star hotels -Rs. 15 lakh. 5 Star and above 5 star hotels including Deluxe Hotels, 1st Class Category Hotels -Rs. 1 crore which will include fee for service of liquor for 24

				<p><i>hours counters in the restaurants and permission to serve in open areas as well within the hotel premises.</i></p> <p><i>Any events taking place in any guest house, hotels will have to secure a separate P10E license.</i></p> <p><i>*Categorisation of Hotel to be provided by applicant from the Competent Authority.</i></p>
14	32(1)	L-17	<i>Service of Indian Liquor and Foreign liquor in independent restaurant</i>	<p><i>Upto 1000 Sq Ft Area –Rs. 5 Lakh.</i></p> <p><i>Between 1001 Sq Ft and 2500 Sq Ft Area –Rs. 15 Lakh.</i></p> <p><i>Above 2500 Sq Ft Area –Rs. 25 Lakh.</i></p>
15	32(1)	L-19	<i>Round the clock service of Indian Liquor and Foreign liquor in independent restaurant located either in arrival or departure areas of International Airport</i>	<i>Rs.25 Lakh</i>
16	32(1)	L-20	<i>Service of Indian Liquor and Foreign Liquor in a bar/dining car in a luxury train</i>	<i>1,00,000/-</i>
17	32(1)	L-21	<i>Round the clock service/sale of Indian Liquor and Foreign Liquor in a bar attached to a hotel located either in arrival or departure area of International Airport</i>	<p><i>Rules of L19 shall apply for hotels upto 4 star attached to hotels.</i></p> <p><i>5 Star hotels and above will have to obtain the L16 license and the same Rules will apply.</i></p>
18	32(1)	L-22	<i>Retail vend of Indian Liquor in duty free shop for consumption “off” the premises located at departure Lounge of International Airport</i>	<i>2,50,000/-</i>
19	32(1)	L-23	<i>Retail vend of Indian and Foreign Liquor in military canteen</i>	<i>NIL</i>
20	32(1)	L-24	<i>Retail vend of Medicated Wine</i>	<i>1000</i>

21	32(1)	L-25	Retail vend of Denatured Spirit including Special Denatured Spirit	For possession limit up to 1000 BL: 2000 For possession limit more than 1000 BL: 5000
22	32(1)	L-26	Retail vend of Rectified Spirit	5000
23	32(1)	L-27	Retail vend of Bhang	5000
24	32(1)	L-28	Service of Indian Liquor and Foreign Liquor in a club	Rs. 5 Lakh all clubs which will include use of open air areas, multiple counters and will cover all the restaurants/outlets within the club premise. No separate P10E permit will be required at any event being conducted at these clubs once Regular L-38 Licence is acquired.
25	32(1)	L-29	Service of Indian Liquor and Foreign Liquor at a club/mess whose membership is exclusively for Government servants, retired Government servants, including members of armed forces, serving or retired and such a club/mess is not run on commercial lines	Rs.25,000/-
26	32(1)	L-30	Licence for possession of liquor at home in excess of individual possession limit.	10000: more than 1 year and upto 3 years* 20000: more than 3 years and upto 5 years* *The person should submit an affidavit confirming his stay at the declared residential address for the duration of the licence applied for.
27	32(1)	L-34	Licence for Ware house for the storage of denatured spirit	20000
28	32(1)	L-35	Licence for Ware house for the storage of rectified spirit	30000
29	51 (2)		Additional storage space for holder of licences of retail vend of Indian Liquor, Foreign Liquor and Country Liquor	Ten per cent of the corresponding licence fee per month
30	32(1)	L-36	Licence to a registered medical practitioner, a chemist/druggist for sale of Intoxicating Spirituous Preparations	5000
31	32(1)	L-37	Licence for Hotel Management Institutes for keeping liquor for the purpose of training	25000

32	32(1)	L-38	<i>License for Banquet Halls, Party Places, Farm Houses, Motels, Wedding/Party/Event Venues with permission to serve Indian and Foreign liquor in all the parties hosted at their premises on payment of one-time annual fee</i>	<i>Carpet area upto 5000 sq ft.: 5,00,000 Carpet area more than 5000 and upto 15000 sq ft.: 10,00,000 Carpet area above 15000 sq ft.: 15,00,000</i>
----	-------	------	--	---

(iv) In sub-rule (4) of 154, the S.No. 10 shall be substituted as under:

10	20 (1)(c)	P-10	<i>Service of Indian Liquor and Foreign Liquor at a place other than the licensed premises i.e. for inhouse party or any function in any community center</i>	<i>Fee will be applicable @ Rs. 10,000/- irrespective of the number of guests.</i>
----	-----------	------	---	--

(v) In sub-rule (4), after entries at S.No.10A, a new S.No.10B shall be inserted as under:

10B	33	P-10E	<i>Permit for service of Indian Liquor and Foreign Liquor at Banquet Halls, Party places, Farm Houses, Wedding/party/event venues.</i>	<i>Fee will be applicable @ Rs. 50,000/- per event, if the said venue does not hold regular L-38 license.</i>
-----	----	-------	--	---

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
PRINCE DHAWAN, Spl. Secy. (Finance)